

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर  
 सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत- ओडोला

प्रकरण संख्या:- २१५/२५

दिनांक:- ३/१०/२५

उनवान

श्री मनमूल पुर चौथ  
नाथ

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार  
 चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पट्टेदारों  
 हल्का ओडोला भू अ. नि. भगवतगढ़ एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की  
 रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत  
 ग्राम शेर सिंहपुरा प० ह० ओडोला की वर्तमान स्थायी  
 जमाबन्दी के खाता संख्या ५० में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को  
 निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये  
 जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
	<u>किनाकनाम</u>	<u>मनमूल पुर चौथ</u>	<u>मनमूल पुर चौथ</u>

**उपखण्ड अधिकारी**  
**चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)**

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री मनमूल पुर चौथ नाथ

**उपखण्ड अधिकारी**  
**चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)**

